3

3.1 जलवायु कार्रवाई

3.2 परिदृश्य-आधारित, पुनःसर्जक, अनुकूलनक्षम, वर्षा-आधारित पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रम, एलआरईडीपी

3.3 पर्यावरणीय दृष्टि से संधारणीय आजीविका के निर्माण के लिए जनजातीय अनुकूलन पहल, ट्राइब्स

3.4 भविष्य की दृष्टि

एक बेहतर कल में निवेश

जलवायु परिवर्तन ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा खतरा है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका प्राकृतिक संसाधनों से गहन रूप से जुड़ी हुई है. अनिश्चित मौसम, जैसे अप्रत्याशित वर्षा, लंबे समय तक सूखा और बार-बार आने वाली बाढ़ - कृषि की उत्पादकता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं, जबकि कृषि अधिकांश ग्रामीण परिवारों के लिए आय का मुख्य स्रोत है. जलवायु के कारण आजीविका व्यवधान प्रायः शहरी केंद्रों की ओर लोगों के मजबूरीवश पलायन करना पड़ता है, जिससे सामाजिक और आर्थिक दोनों प्रकार की चुनौतियाँ सामने आती हैं. ये प्रभाव छोटे और सीमांत किसानों, महिलाओं और अन्य कमज़ोर समूहों के लिए तुलनात्मक रूप से गंभीर होते हैं. यह स्थिति कृषि और ग्रामीण विकास सहयोगों के जलवायु अनुकूलन को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता को रेखांकित करती है.

जलवायु-परिवर्तन से उत्पन्न इन चुनौतियों की बढ़ती हुई जटिलता को ध्यान में रखते हुए नाबार्ड ग्रामीण परिवारों - विशेष रूप से महिलाओं, लघु और सीमांत किसानों, कमजोर वर्गों और आदिवासी समुदायों की संधारणीय आजीविका सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सशक्त बनाने के लिए अग्रसक्रिय होकर प्रयास कर रहा है. यह लक्ष्य अन्य सहयोगों के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन अनुकूलन उपायों के संवर्धन, वाड़ियाँ (बागन) विकसित करने में आदिवासी परिवारों को सहायता और सहभागितामूलक वाटरशेड और मृदा प्रबंधन पहलों के कार्यान्वयन से हासिल किया जा रहा है.

3.1 जलवायु कार्रवाई

संधारणीय आजीविका समाधानों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अपनी अनुकूलता बढ़ाने के लिए कमज़ोर और समाज के पिछड़े वर्ग को सशक्त बनाने में जलवायु वित्तपोषण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. समावेशी और समानता पर आधारित ग्रामीण विकास के संवर्धन के अपने अधिदेश के अनुरूप नाबार्ड ऐसे निवेशों को प्राथमिकता देता है जो भारत के विविधतापूर्ण ग्रामीण परिदृश्य में संधारणीय आजीविका को बढ़ावा देते हैं. वित्तपोषण के विविध स्रोतों की उपलब्धता के साथ-साथ सहयोगी कार्यान्वयन दृष्टिकोण नाबार्ड को जलवायु की दृष्टि से कमज़ोर क्षेत्रों में समस्याओं की एक विस्तृत शृंखला के समाधान में सक्षम बनाता है. इन पहलों को अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय जलवायु वित्त तंत्रों के मिश्रण के माध्यम से सहायता दी जाती है, जिनमें अनुकूलन निधि (एएफ़), राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन निधि (एनएएफ़सीसी), और हरित जलवायु निधि (जीसीएफ़) शामिल हैं.

3.1.1 विहंगावलोकन

31 मार्च 2025 तक नाबार्ड ने देश भर में 40 जलवायु परिवर्तन परियोजनाओं को सहायता प्रदान की है, जिनके लिए कुल प्रतिबद्धता ₹1,971.6 करोड़ है (चित्र 3.1, शोकेस 3.1). एएफ़ और एनएएफ़सीसी मुख्य रूप से अनुकूलन, आपदा जोखिम न्यूनीकरण और पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली हेतु सहायता उपलब्ध कराते हैं, जबकि जीसीएफ़ स्वच्छ ऊर्जा और संधारणीय आधारभूत संरचना जैसी शमन पहलों पर ध्यान केंद्रित करता है.

ज़मीनी-स्तर पर किए गए सहयोगों से प्राप्त अनुभव से यह स्पष्ट होता है कि स्थानीय रूप से संचालित और प्रकृति पर आधारित समाधान कम जोखिम वाले, लागत-प्रभावी, और अधिक संधारणीय परिणाम देने वाले होते हैं. इसके अलावा, परियोजना बनाने और उसके कार्यान्वयन में यदि समुदाय सहभागी होते हैं, तो कार्यान्वयन, अनुप्रवर्तन और परियोजना के साथ दीर्घकालिक अपनत्व बनता है.

समुदायों को सहभागी रखकर स्थानीय रूप से संचालित और प्रकृति पर आधारित समाधान बेहतर कार्यान्वयन और अनुप्रवर्तन सहित कम जोखिम वाले, लागत-प्रभावी, और अधिक संधारणीय परिणाम देने वाले होते हैं.

चित्र 3.1: निधि के प्रकार के अनुसार जलवायु परिवर्तन पहलें (₹ करोड़ में)

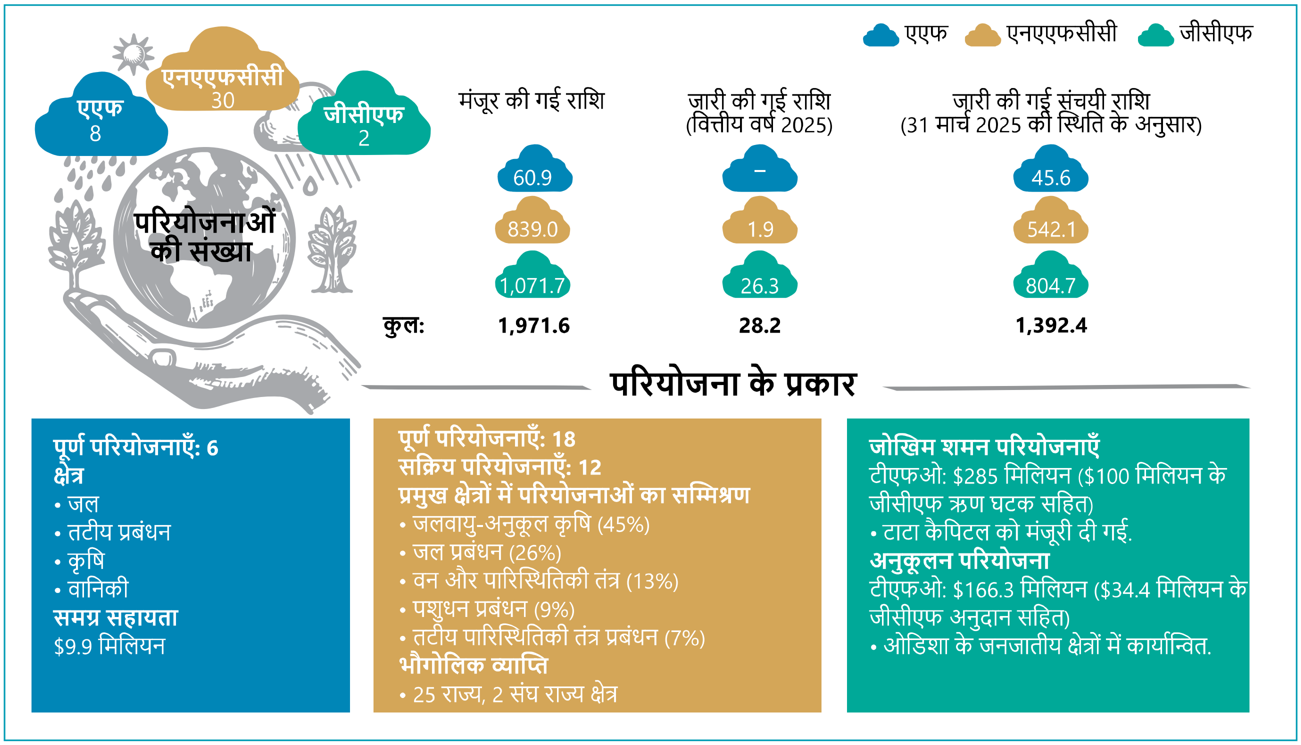

एएफ = अनुकूलन निधि, जीसीएफ = हरित जलवायु निधि, एनएएफसीसी = राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन निधि, टीएफओ = कुल वित्तीय परिव्यय.

नोट:

- अनुकूलन निधि में दो तैयारी अनुदान परियोजनाएँ शामिल हैं, नामतः अफगानिस्तान में राष्ट्रीय कार्यान्वयन संस्था के प्रत्यायन में सहयोग के लिए दक्षिण-दक्षिण सहकार अनुदान, और पर्यावरणीय, सामाजिक और अभिशासन संरचना के विकास के लिए तैयारी अनुदान.
- एनएएफ़सीसी द्वारा क्षेत्र-वार वित्तपोषित परियोजनाओं के अंतर्गत कोष्ठक में दिए गए आँकड़े एनएएफ़सीसी परियोजनाओं की कुल संख्या में क्षेत्र की हिस्सेदारी दर्शाते हैं.

शोकेस 3.1: समुदाय-संचालित आजीविका विकास के माध्यम से तटीय पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली

परियोजना: मन्नार की खाड़ी, तमिलनाडु में तटीय प्रकृतिक वास की बहाली

निधि: राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन निधि (एनएएफ़सीसी)

निष्पादक संस्था: पर्यावरण विभाग, तमिलनाडु सरकार

कार्यान्वयक संस्था: नाबार्ड (एनएएफ़सीसी हेतु राष्ट्रीय कार्यान्वयक संस्था)

भौगोलिक कवरेज: रामनाथपुरम, तूत्तुक्कुड़ी, तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी जिले

परियोजना परिव्यय: ₹24.7 करोड़

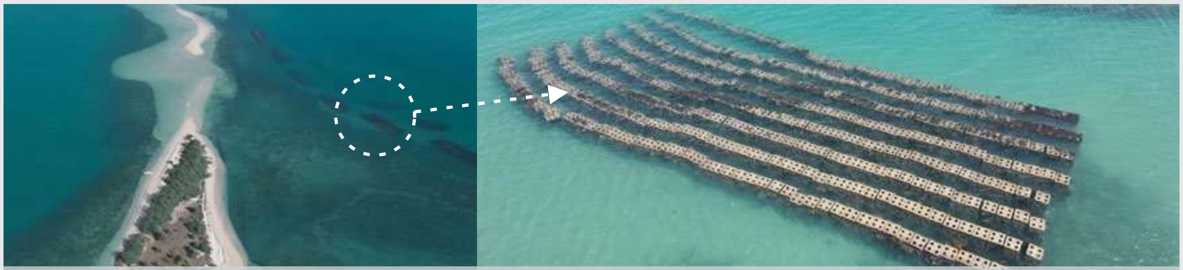

कोरल और समुद्री घास की बहाली; मन्नार की खाड़ी, तमिलनाडु.

चुनौती

- इस परियोजना के माध्यम से कोरल माइनिंग, तटीय क्षरण और समुद्र के स्तर में वृद्धि के कारण प्रकृतिक वास को हुए गंभीर नुकसान, विशेष रूप से वान द्वीप के आसपास, के समाधान पर ध्यान केन्द्रित किया गया. इन पर्यावरणीय खतरों ने समुद्री जैव विविधता और मछुआरा समुदाय की आजीविका को काफी प्रभावित किया.

प्रमुख सहयोग

- 4 वर्ग किलोमीटर में कोरल और समुद्री घास को फिर से बहाल किया गया.
- वान द्वीप के आसपास 6,000 कृत्रिम रीफ मॉड्यूल स्थापित किए गए.
- प्रशिक्षण केंद्र, पर्यावरणीय पर्यटन सुविधाओं और नेट मेंडिंग शेड सहित सामुदायिक आधारभूत संरचनाएँ विकसित की गईं.
- जैव विविधता और सामाजिक-आर्थिक आधारभूत सर्वेक्षणों का निष्पादन

प्रभाव

- **आजीविका**
  - 809 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष लाभ मिला.
  - सूक्ष्म उद्यम शुरू करने वाले 435 व्यक्तियों ने प्रति माह ₹4,000 से ₹15,000 अर्जित किए.
  - स्वयं सहायता समूहों के 1,801 सदस्यों को परिक्रामी निधि सहायता उपलब्ध कराई गई.
- **पारिस्थितिकी**
  - कोरल और समुद्री घास के आवरण में उल्लेखनीय वृद्धि
  - वान द्वीप का भूभाग 2.3 हेक्टेयर से बढ़कर 3 हेक्टेयर हो गया.
- **सामुदायिक सहभागिता**
  - जागरूकता और पहुँच कार्यक्रमों के माध्यम से 26,000 से अधिक व्यक्ति कवर किए गए.
  - महिलाओं को परिधान निर्माण, समुद्री खाद्य प्रसंस्करण और बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं सहित संधारणीय आजीविका का प्रशिक्षण दिया गया.

समुद्री खाद्य प्राप्त करते हुए किसान (ऊपर); समुद्री खाद्य प्रसंस्कृत करती हुई एसएचजी सदस्य (नीचे); मन्नार की खाड़ी, तमिलनाडु.

3.1.2 बेहतर परियोजना कार्यान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2025 में की गई पहलें

1. **नीतिगत परिदृश्य**

   क. नाबार्ड ने कई राष्ट्रीय स्तर के नीति संवादों में योगदान दिया है और दिशानिर्देश तैयार करने के लिए अपेक्षित जानकारी उपलब्ध कराई है, जिनमें जलवायु अनुकूल कृषि, राष्ट्रीय अनुकूलन योजना, जलवायु वित्त व्यवस्था तथा कृषि, मत्स्यपालन और जलीय कृषि क्षेत्रों में स्वैच्छिक कार्बन बाजार (वीसीएम) के लिए कार्यान्वयन की रूपरेखा शामिल हैं.

ख. वीसीएम के कार्यान्वयन को सहयोग प्रदान करने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्यपालन मंत्रालय के साथ सहमति ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए. इस पहल के तहत कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से 11 परियोजनाओं को वेरा वेरिफायड कार्बन स्टैण्डर्ड की वैश्विक कार्बन रजिस्ट्री पर पंजीकृत किया गया.

ग. डेयरी क्षेत्र में संधारणीय एवं समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए.

घ. नाबार्ड ने संधारणीय कृषि, कृषि-खाद्य प्रणाली के रूपांतरण और ग्रामीण विकास के लिए किसानों और हितधारकों को व्यापक लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से नवोन्मेषी वित्तीय तंत्र विकसित करने हेतु एक सहमति ज्ञापन के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) के साथ साझेदारी की.

ङ. जलवायु रणनीति नाबार्ड@2030 शुरू की गई, जो चार रणनीतिक स्तंभों पर आधारित है:

i. हरित ऋणीकरण की गति बढ़ाना

ii. बाजार विकास

iii. आंतरिक हरित रूपांतरण

iv. रणनीतिक संसाधन संग्रहण

2. **जलवायु वित्त**

क. दिनांक 28 जनवरी 2025 को नाबार्ड हरित ऋणीकरण सुविधा (एनजीएलएफ) नामक एक लचीला हरित ऋण उत्पाद शुरू किया गया. इस सुविधा के तहत ₹845 करोड़ की संयुक्त ऋण सहायता के साथ दो परियोजनाओं को मंजूरी दी गई. यह सुविधा राज्य सरकारों से लेकर ग्रामीण हरित प्रयासों में शामिल स्टार्ट-अप जैसे हितधारकों की एक विस्तृत शृंखला के लिए सुलभ है.

ख. ग्रामीण परिवारों को सौर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु "छत सौर ऊर्जा के साथ जोड़कर ग्रामीण आवास ऋण" नामक एक पुनर्वित्त उत्पाद प्रारंभ किया गया. इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण वित्तीय संस्थानों (आरएफ़आई) के लिए पुनर्वित्त पर ब्याज दर में छूट का प्रावधान है.

ग. जलवायु परिवर्तन निधि - ब्याज अंतर (सीसीएफ़-आईडी) को वित्तीय वर्ष 2024 में सृजित ब्याज अंतर की राशि का उपयोग करके परिचालन किया गया. वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान 11 परियोजनाओं को कुल ₹4.5 करोड़ की अनुदान सहायता प्राप्त हुई.

घ. हरित वित्तपोषण क्षमता का आकलन करने के लिए छह राज्यों की राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य योजनाओं का विस्तृत विश्लेषण किया गया. इन आकलनों के आधार पर वित्तपोषण आवश्यकताओं को समझने और एनजीएलएफ के बारे में हितधारकों को जागरूक करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के वित्त सचिव तथा बिहार सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग के सचिव के साथ रणनीतिक बैठकें आयोजित की गईं.

ङ. जलवायु-अनुकूल डेयरी प्रणाली, सौर ऊर्जा चालित कृषि पंप, ग्रामीण विद्युत गतिशीलता और कृषि मूल्य शृंखला में ऊर्जा दक्षता जैसे क्षेत्रों को लक्षित कर नए हरित वित्तपोषण उत्पाद विकसित किए गए.

3. **अन्य पहलें**

क. उद्योग विशेषज्ञों, स्टार्ट-अप्स तथा बायोएथेनॉल, कार्बन मार्केट, ग्रीन हाइड्रोजन और कृषि में स्केलेबल ग्रीन टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टरों के विशेषज्ञों के साथ चार उच्च-स्तरीय हितधारक परामर्श बैठकें आयोजित की गईं. इन सत्रों से प्राप्त जानकारी का दस्तावेजीकरण किया गया ताकि वित्तपोषण के अवसरों और हरित सेक्टरों की चुनौतियों की पहचान की जा सके.

ख. मिश्रित वित्त सुविधा की स्थापना में सहयोग करने के उद्देश्य से गोवा सरकार के साथ एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया. इस पहल के लिए एक विशेष प्रयोजन वेहिकल तैयार करने का कार्य अपने अंतिम चरण में है.

ग. नैबकॉन्स के सहयोग से तेलंगाणा, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में जनजातीय विकास निधि (टीडीएफ) से सहयोग-प्राप्त परियोजनाओं के तहत चुनी हुई परियोजनाओं के कार्बन क्रेडिट आकलन का परीक्षण किया गया. सृजित कार्बन क्रेडिट का मुद्रीकरण के लिए नैबकॉन्स और राबोबैंक के बीच करार हस्ताक्षरित किया गया.

घ. छह हरित साक्षरता प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किए गए, जिनमें बैंकरों के लिए जलवायु जोखिम मूल्यांकन, कार्बन बाज़ार, वित्तीय प्रणालियों

को हरित बनाना (ग्रीनिंग), संधारणीय वित्त और वित्तीय संस्थाओं के लिए हरित वित्तपोषण का लाभ उठाने की रणनीति जैसे विषय शामिल हैं. उपयोगकर्ता की रुचि बनाए रखने और ज्ञानार्जन के परिणामों के सुधार हेतु इन मॉड्यूलों के गेमीफाइड संस्करण विकसित किए जा रहे हैं.

ङ. नाबार्ड की हरित वर्गीकरण व्यवस्था को परिचालित किया गया, जिसके अंतर्गत ₹1,842 करोड़ की परियोजनाओं को 'हरित परियोजना' के रूप में चिह्नित किया गया. यह 'हरित पोर्टफोलियो' 'हरित बॉण्ड' जैसी लिखतों के माध्यम से संसाधन जुटाने का आधार बनता है.

च. वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान नाबार्ड ने विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक (एडीबी), एफ़एओ, यूरोपीय संघ, यूरोपीय निवेश बैंक, पश्चिम एशियाई विकास बैंक, कंबोडिया कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, राबोबैंक, एंटरप्राइज सिंगापुर, और फिजी डेवलपमेंट बैंक जैसे कई बहुपक्षीय और द्विपक्षीय संगठनों के साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की. इस संदर्भ में नाबार्ड ने कंबोडिया, नाइजीरिया, न्यूज़ीलैंड और फिजी के प्रतिनिधिमंडलों की भी मेजबानी की. वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान अनेक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय सहयोग-उपक्रम स्थापित किए गए:

i. विश्व बैंक के साथ साझेदारी में, दो प्रारंभिक परियोजना रिपोर्टें तैयार करना और भारत सरकार के आर्थिक कार्य विभाग को प्रस्तुत करना:
   (1) भारत में अनुकूलन क्षमता बढ़ाने के लिए जलवायु वित्त नवोन्मेष;
   (2) कृषि क्षेत्र के लिए ग्रीन-टैगिंग फ्रेमवर्क पर सहयोग.

ii. भारत में सौर छत कार्यान्वयन कार्यक्रम को निष्पादित करने के लिए एडीबी के साथ साझेदारी.

iii. जीसीएफ द्वारा समर्थित "भारतीय कृषि में जलवायु अनुकूलन के लिए बीमा का उपयोग" परियोजना के लिए जीसीएफ को एक वित्तपोषण प्रस्ताव की प्रस्तुति. इस प्रस्ताव में जीसीएफ सहायता से ऋण के रूप में \$20 मिलियन (\$115 मिलियन का कुल वित्तपोषण) की माँग की गई है, जिसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में बीमा कवरेज का विस्तार करना है.

iv. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से अखिल भारतीय स्तर पर डेटा इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर (डीआईसीआरए) पोर्टल के संवर्धन हेतु कदम उठाए गए.

3.2 परिदृश्य-आधारित, पुनःसर्जक, अनुकूलनक्षम, वर्षा-आधारित पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रम, एलआरईडीपी

वर्ष 1992 से भारत में सहभागी वाटरशेड विकास को बढ़ावा देने में नाबार्ड अग्रणी रहा है. वर्ष 1999-2000 में नाबार्ड में वाटरशेड विकास निधि (डब्ल्यूडीएफ़) की स्थापना ₹200 करोड़ की आरंभिक समूह निधि के साथ की गई थी, जिसमें भारत सरकार और नाबार्ड द्वारा समान राशि का योगदान किया गया था.

वाटरशेड विकास कार्यक्रम की विरासत आगे बढ़ते हुए परिदृश्य-आधारित, पुनःसर्जक, अनुकूलनक्षम, वर्षा-आधारित पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रम (एलआरईडीपी) के रूप में विकसित हुई है जो एक जलवायु-अनुकूल कृषि-पारिस्थितिकी पहल है, जिसका उद्देश्य भारत की वर्षा-आधारित कृषि को पुनर्जीवित करना है (बॉक्स 3.1). यह कार्यक्रम सतत विकास लक्ष्यों, भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान और भूमि क्षरण निवारण लक्ष्यों के साथ तालमेल में जल संरक्षण, मृदा स्वास्थ्य और आजीविका सुरक्षा को प्राथमिकता देता है. पारंपरिक इंजीनियरिंग से आगे बढ़ते हुए एलआरईडीपी जैव इंजीनियरिंग, जलवायु अनुकूलन और पुनःसर्जक प्रथाओं को एकीकृत करता है.

एलआरईडीपी जैव-इंजीनियरिंग, जलवायु अनुकूलन और पुनःसर्जक प्रथाओं को एकीकृत करते हुए जल संरक्षण, मृदा स्वास्थ्य, और आजीविका सुरक्षा को प्राथमिकता देता है.

बॉक्स 3.1: परिदृश्य-आधारित पुन:सर्जक, अनुकूलनक्षम, वर्षा-आधारित पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रम (एलआरईडीपी) की प्रमुख विशेषताएँ

- जलवायु-अनुकूलन उपाय: जलवायु भेद्यता आकलन के आधार पर सहयोगों का एकीकरण.
- फसल के लिए जल का कुशल उपयोग: संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए जल का बजट बनाना और फसल विविधीकरण पद्धतियों का संवर्धन.
- मृदा स्वास्थ्य सुधार: मृदा की जीवनी-शक्ति को बढ़ाने के लिए एकल फसल से बहु-फसल प्रणालियों में परिवर्तन.
- संधारणीय कृषि: रासायनिक निविष्टियों पर निर्भरता कम करने के लिए प्राकृतिक कृषि और कृषि पारिस्थितिकी विधियों पर बल देना.
- पर्यावरणीय सुरक्षा: संधारणीयता अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नाबार्ड की हरित वर्गीकरण व्यवस्था और पर्यावरण परीक्षण का उपयोग.
- जैव इंजीनियरिंग पर ध्यान केन्द्रित करना: दीर्घकालिक पारिस्थितिकीय स्थिरता के संवर्धन के लिए पारंपरिक इंजीनियरिंग के स्थान पर जैव इंजीनियरिंग समाधानों का प्रयोग.
- एकीकृत योजना: वित्तीय संस्थाओं के साथ तालमेल बिठाते हुए, सहयोग के लिए व्यापक बैंकिंग योजनाएँ तैयार करना.
- प्रौद्योगिकी एकीकरण: आस्तियों की तत्समय ट्रैकिंग और परियोजना की पारदर्शिता के लिए भू-स्थानिक उपकरणों और जियोटैगिंग का उपयोग.
- कार्बन राजस्व संभाव्यता: कार्बन बाजारों में संभावित भागीदारी के लिए कार्बन पृथक्करण की निगरानी.
- परिणामोन्मुख संरचना: कार्यनिष्पादन के मापन के लिए परिणाम-विशिष्ट संकेतकों से जुड़े सुपरिभाषित परिणामों का कार्यान्वयन.

मृदा और जल संरक्षण को बढ़ाने, कृषि उत्पादकता में सुधार लाने, तथा जलवायु-अनुकूल आजीविका को सक्षम बनाने में वाटरशेड विकास सहयोग सहायक हैं - विशेष रूप से वर्षा-सिंचित और खराब हो चुकी भूमि वाले छोटे किसानों और बटाईदार किसानों के लिए. 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार, नाबार्ड ने पूरे भारत में 27.2 लाख हेक्टेयर भूमि को शामिल करते हुए 3,761 वाटरशेड विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनके अंतर्गत ₹2,355.2 करोड़ का संचयी संवितरण किया गया है. वित्तीय वर्ष 2025 में 14 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिससे 6,384 हेक्टेयर की अतिरिक्त भूमि शामिल हुई और ₹109.9 करोड़ की राशि का संवितरण किया गया (बॉक्स 3.2).

बॉक्स 3.2: अतिदोहित ब्लॉकों/ वाटरशेडों में सहभागितामूलक संधारणीय भूमिगत जल प्रबंधन

पाँच राज्यों - पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु - में "अतिदोहित ब्लॉकों/ वाटरशेडों में सहभागितामूलक संधारणीय भूमिगत जल प्रबंधन" नामक अपनी तरह की पहली प्रायोगिक पहल शुरू की गई है. इस अग्रणी कार्यक्रम का उद्देश्य सूक्ष्म वाटरशेड और ग्राम स्तर पर समुदाय के नेतृत्व में माँग पक्ष जल प्रबंधन का संवर्धन करना है.

इस पहल का उद्देश्य सक्रिय स्थानीय भागीदारी के माध्यम से संधारणीय भूमिगत जल उपयोग को बढ़ावा देना है, जिसका मुख्य लक्ष्य वर्तमान में अतिदोहित गाँवों को सुरक्षित श्रेणी में लाना है. रणनीतिक आयोजना और कार्यान्वयन के एक भाग के रूप में चुने गए क्षेत्रों के लिए व्यापक जल बजट को शामिल करते हुए विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार की जा रही हैं.

3.2.1 खाद्य सुरक्षा के लिए खराब हो चुकी मृदा का पुनरुद्धार

वर्ष 2017 से एसईडब्ल्यूओएच (वन वर्ल्ड - नो हंगर) पहल के तहत नाबार्ड केएफ़डब्ल्यू विकास बैंक के साथ साझेदारी में केएफ़डब्ल्यू मृदा कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है. यह कार्यक्रम जलवायु जोखिमों को कम करने के लिए खराब हो चुकी मृदा के पुनरुद्धार पर ध्यान केंद्रित करता है, और साथ ही, वाटरशेड क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता और सामुदायिक आय को बढ़ाता है. तीन चरणों में कार्यान्वित इस कार्यक्रम में दस राज्यों की 226 परियोजनाएँ शामिल हैं (चित्र 3.2, बॉक्स 3.3).

चित्र 3.2: केएफ़डब्ल्यू मृदा कार्यक्रम के अंतर्गत मृदा के पुनरुद्धार की पहल

123 परियोजनाएँ
कुल अनुदान प्रतिबद्धता
₹70.0 करोड़ (€10 मिलियन)
राज्य: आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, ओडिशा और तेलंगाणा
समग्र संवितरण:
₹66.3 करोड़ (€9.5 मिलियन)

55 परियोजनाएँ
कुल अनुदान प्रतिबद्धता
₹40.0 करोड़ (€5 मिलियन)
राज्य: झारखंड और केरल
समग्र संवितरण:
₹36.8 करोड़ (€4.6 मिलियन)

48 परियोजनाएँ
कुल अनुदान प्रतिबद्धता
₹33.8 करोड़ (€4.5 मिलियन)
राज्य: बिहार, महाराष्ट्र और तमिलनाडु
31 मार्च 2025 की स्थिति में समग्र संवितरण
₹32.4 करोड़ (€4.3 मिलियन)

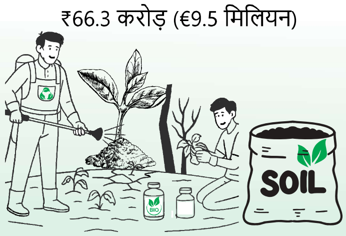

केएफ़डबल्यू मृदा कार्यक्रम का प्रभाव

- **51,000 हेक्टेयर** भूमि को कटाव और खराब होने से बचाने और भूमि सुधार के लिए उपचारित किया गया.
- **59,000 हेक्टेयर** भूमि के मृदा स्वास्थ्य में सुधार किया गया.
- **5,727 क्षमता निर्माण सत्रों** के माध्यम से लगभग **1.2 लाख किसानों** को प्रशिक्षित किया गया.
- किसानों की व्यक्तिगत आय में **18%–25% की वृद्धि को सक्षम बनाया**, जो कृषि उत्पादकता और अनुकूलता पर सहयोग के प्रभाव को दर्शाता है.

नोट: तीनो चरणों में विनिमय दरें समान नहीं थीं.

इसके समानांतर, नाबार्ड जीआईज़ेड के साथ तकनीकी सहयोग करार के तहत "भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए मृदा संरक्षण और पुनरुद्धार" (प्रो-सॉयल) परियोजना को भी सहयोग प्रदान कर रहा है.[1] यह परियोजना महाराष्ट्र के पाँच जिलों और मध्य प्रदेश के दो जिलों में कार्यान्वित की जा रही है, जिसके लिए जीआईज़ेड से कुल €18.9 मिलियन का अनुदान सहयोग प्राप्त है. इसका प्राथमिक उद्देश्य कमजोर ग्रामीण क्षेत्रों में फसल उत्पादकता बढ़ाने के लिए मृदा संरक्षण प्रथाओं का संवर्धन करना है.

नाबार्ड जीआईज़ेड के साथ साझेदारी में "भारत में कृषि-पारिस्थितिकी परिवर्तन प्रक्रियाओं" (एनएबी-एसयूएटीआई) भी कार्यान्वित कर रहा है, जो €3 मिलियन के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ नाबार्ड के प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन पोर्टफोलियो में कृषि-पारिस्थितिकी दृष्टिकोणों को समाहित करने के लिए डिज़ाइन की गई एक रणनीतिक पहल है.

बॉक्स 3.3: तमिलनाडु के कोट्टेरी वाटरशेड में जल बजट पर प्रकरण अध्ययन

संदर्भ

तमिलनाडु के कडलूर जिले में स्थित कोट्टेरी वाटरशेड 1,232.9 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है और यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 1,050 मिमी होती है.

प्रयोजन

नाबार्ड द्वारा समर्थित केएफ़डब्ल्यू मृदा कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यान्वित यह सहयोग मृदा स्वास्थ्य की बहाली और जलवायु अनुकूलन के सुदृढ़ीकरण पर ध्यान केंद्रित करता है.

गतिविधि

क्षेत्र की जल गतिशीलता का आकलन करने और रणनीतिक सहयोगों की जानकारी देने के लिए व्यापक जल बजट तैयार करने का कार्य किया गया.

प्रमुख निष्कर्ष

- **जल की कुल माँग**: 416.4 हेक्टेयर मीटर (हे.मी.)
  - घरेलू: 44.9 हे.मी.
  - कृषि: 371.5 हे.मी.
- **जल भंडारण क्षमता**: 33.8 हे.मी.
  - खेत की मेंड़: 15.5 हे.मी.
  - धँसे हुए गड्ढे: 6.1 हे.मी.
  - जल अवशोषण खाइयाँ (डब्ल्यूएटी): 4.9 हे.मी.
- **जल आपूर्ति स्रोत:**
  - वर्षाजल पुनर्भरण: 90.6 हे.मी.
  - अन्य स्रोत: 28.4 हे.मी.
- **जल की कमी**: (–)162.7 हे.मी.

परिणाम और अनुशंसाएँ

ये निष्कर्ष **जल की कमी के अत्यधिक स्तर** की ओर संकेत करते हैं, जिसकी पूर्ति के लिए निम्नलिखित कदम उठाना आवश्यक है:

- खेतों की मेड़ों, रिसाव टैंकों और पुनर्भरण संरचनाओं का विस्तार कर उनके माध्यम से **जल भंडारण आधारभूत संरचना सुदृढ़ करना**;
- **जल संरक्षण उपायों का संवर्धन, जैसे**
  - वर्षाजल संचयन,
  - भूमिगत जल पुनर्भरण, और
  - जल उपयोग दक्षता में सुधार लाने के लिए सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियाँ;
- आय में कमी लाए बिना पानी की माँग को कम करने के लिए विशेष रूप से **रबी मौसम** के दौरान **फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन** दिया जाए; और
- क्षेत्र में दीर्घकालिक जल स्थिरता सुनिश्चित करने और **जलवायु-अनुकूल कृषि** के संवर्धन के लिए निरंतर जागरूकता निर्माण और भागीदारी योजना के माध्यम से **सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा** दिया जाए.

3.2.2 जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के लिए स्प्रिंगशेड विकास कार्यक्रम

स्प्रिंगशेड-आधारित वाटरशेड विकास कार्यक्रम का नाम बदलकर जलवायु परिवर्तन अनुकूलन हेतु स्प्रिंगशेड विकास कार्यक्रम कर दिया गया है. यह भारत के हिमालयी क्षेत्रों और पूर्वोत्तर क्षेत्र के साथ-साथ अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में सूख रहे झरनों को पुनर्जीवित करने पर ध्यान केंद्रित करता है, जिससे पीने और सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता में सुधार हो सके.

31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार, देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों और अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में 160 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनके अंतर्गत कुल ₹33.2 करोड़ का संवितरण किया गया है (शोकेस 3.2). केवल वित्तीय वर्ष 2025 में ही तीन नई स्प्रिंगशेड परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनके अंतर्गत ₹8.3 करोड़ की राशि संवितरित की गई.

शोकेस 3.2: झरनों के जल तक पहुँच के माध्यम से खेती का विस्तार

परियोजना: खीरगंगा स्प्रिंगशेड

स्थान: फरसाली वल्ली गाँव, बागेश्वर, उत्तराखंड

चुनौती

सिंचाई तक सीमित पहुँच ने सब्जी की खेती को केवल 0.04 हेक्टेयर तक सीमित कर दिया, जिससे फसल विविधता में कमी आई और आय ₹8,000 से ₹10,000 के बीच रह गई.

सहयोग

- झरने के पानी के प्रवाह को बढ़ाने और मृदा क्षरण को कम करने के लिए थोड़ी-थोड़ी दूरी पर समोच्च खाइयों का निर्माण.
- झरने के पानी के कुशल भंडारण और वितरण के लिए पारंपरिक गुलों (जल माध्यम) से जुड़े सिंचाई टैंकों का विकास.

प्रभाव

सिंचाई की उपलब्धता में वृद्धि से कृषि-योग्य भूमि का विस्तार हुआ और फसल उत्पादन में वृद्धि हुई, जिसके परिणामस्वरूप आय ढाई गुना बढ़कर ₹28,000 हो गई. यह दिखाता है कि कम लागत वाले समुदाय-संचालित जल प्रबंधन सहयोगों के माध्यम से उल्लेखनीय लाभ संभव है.

टैंक और गुल के लिए स्प्रिंगवाटर का उपयोग; बागेश्वर, उत्तराखंड.

स्प्रिंगशेड सिंचाई के जलग्रहण क्षेत्र में क्षरण; बागेश्वर, उत्तराखंड.

3.2.3 भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी-आधारित अनुप्रवर्तन

नाबार्ड भुवन पोर्टल

वाटरशेड और संबद्ध परियोजनाओं के डिजिटलीकरण को आगे बढ़ाने के लिए नाबार्ड ने हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन) के सहयोग से नाबार्ड भुवन पोर्टल विकसित किया है जो एक समर्पित भू-स्थानिक प्लेटफ़ॉर्म है. जियोटैग की गई आस्तियों की विस्तृत जानकारी संग्रहित करने वाला यह पोर्टल कुशल मानचित्रण, उपयोगिता अनुप्रवर्तन, परियोजना ट्रैकिंग और परिणामों के साक्ष्य-आधारित मूल्यांकन की सुविधा प्रदान करता है.

31 मार्च 2025 की स्थिति में, नाबार्ड भुवन पोर्टल पर 2 लाख जियोटैग की गई आस्तियों सहित 1,179 ऑनबोर्ड की गई परियोजनाएँ हैं. पिछले वर्ष नाबार्ड के सर्वर पर माइग्रेट होने के बाद यह पोर्टल अब पूरी तरह से सक्रिय है और परियोजना अनुप्रवर्तन तथा मूल्यांकन के लिए सक्रिय रूप से इसका लाभ उठाया जा रहा है.

वाटरशेड परियोजनाओं के लिए भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी पर आधारित आयोजना

वाटरशेड आयोजना में भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी का उपयोग लगातार बढ़ रहा है, जो अधिक सटीक, पारदर्शी और परिणामोन्मुख सहयोगों के अनुकूल है. भूमिगत जल क्षमता का आकलन करने और भूमि को वर्गीकृत करने के लिए क्यूजीआईएस, गूगल अर्थ, भुवन और जल संसाधन सूचना प्रणाली

(डब्ल्यूआरआईएस) जैसे ओपन-सोर्स टूल्स का उपयोग किया जा रहा है. वित्तीय वर्ष 2025 में जीआईज़ेड के तकनीकी सहयोग से सात राज्यों - तमिलनाडु, तेलंगाणा, कर्नाटक, बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल तथा जम्मू और कश्मीर - में नौ स्थानों पर ऑन-साइट प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए. इनके साथ ही विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने पर केंद्रित वर्चुअल प्रशिक्षण भी आयोजित किए गए. 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार, भू-स्थानिक एप्लिकेशन का उपयोग करके 13 डीपीआर विकसित किए गए हैं, जिससे वर्षा-आधारित क्षेत्रों में जलवायु-अनुकूल आयोजना को मजबूती मिली है.

3.2.4 जीवा - एक कृषि-पारिस्थितिकी कार्यक्रम

जीवा - कृषि-पारिस्थितिकीय सिद्धांतों पर आधारित कृषि-पारिस्थितिकी कार्यक्रम - को प्रारंभ में 11 राज्यों में 24 परियोजनाओं के माध्यम से पाँच कृषि-पारिस्थितिकीय क्षेत्रों में प्रायोगिक रूप से चलाया गया था (बॉक्स 3.4). इन प्रायोगिक परियोजनाओं की सफलता के आधार पर कार्यक्रम को अब 12 राज्यों में 25 अतिरिक्त परियोजनाओं तक बढ़ाया जा रहा है, जिसमें पूर्वोत्तर, पूर्वी और मध्य क्षेत्रों पर नए सिरे से जोर दिया जा रहा है, जिसमें आठ कृषि-जलवायु क्षेत्र शामिल हैं (शोकेस 3.3).

शोकेस 3.3: पतरातू, झारखंड में प्राकृतिक खेती का परिवर्तनकारी प्रभाव

परियोजना: पतरातू जीवा परियोजना (प्रायोगिक चरण)

स्थान: पतरातू ब्लॉक, रामगढ़ जिला, झारखंड

कार्यान्वयक संस्था: ग्रामीण सेवा संघ

चुनौतियाँ

- कृषि निविष्टियों की उच्च लागत
- रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर निर्भरता
- कम फसल उत्पादकता
- प्राकृतिक कृषि तकनीकों के विषय में सीमित जागरूकता
- अपर्याप्त पशुधन प्रबंधन पद्धतियाँ

प्रमुख सहयोग

- 6 गाँवों में 8 जीवा क्लस्टरों में 80 अग्रणी किसानों का क्षमता निर्माण
- जीवामृत, बीजामृत, घनजीवामृत और नीमास्त्र जैसी जैव निविष्टियों का संवर्धन और उपयोग
- धान, सब्जियाँ, दालें और तिलहन सहित विविध देसी फसल किस्मों का उपयोग करके 90 एकड़ से अधिक क्षेत्र में कृषि
- 43 रसोई उद्यान ('किसी भी समय भोजन' मॉडल) और 43 जैव संसाधन इकाइयों की स्थापना

जैविक-निविष्टियों का प्रयोग करके उत्पादित फसल की कटाई करती हुई किसान (ऊपर); अर्मदाग गाँव में आयोजित महिला कल्याण समूह, एसएचजी बैठक (नीचे); पतरातू ब्लॉक, रामगढ़ जिला, झारखंड.

प्रभाव

- निविष्टि लागत में महत्वपूर्ण कमी और मृदा स्वास्थ्य में उल्लेखनीय सुधार
- धान की पैदावार में 17-18 क्विंटल प्रति एकड़ से 20-22 क्विंटल प्रति एकड़ तक की वृद्धि
- वर्ष भर खेती, बाजार तक पहुँच में वृद्धि और कृषि आय में सुधार
- घरेलू पोषण में सुधार और खाद्य सुरक्षा का सुदृढ़ीकरण
- भागीदारी कार्रवाई के माध्यम से सामुदायिक सामंजस्य और सामूहिक स्वामित्व में वृद्धि

बॉक्स 3.4: जीवा के माध्यम से कृषि-पारिस्थितिकीय रूपांतरण का विस्तार

भौगोलिक व्याप्ति

आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाणा, उत्तराखंड, झारखंड, और तमिलनाडु

प्रमुख सहयोग

- 607 हेक्टेयर में 1,349 किसानों ने प्राकृतिक कृषि पद्धतियाँ कार्यान्वित कीं.
- क्षेत्र-स्तरीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जीआईज़ेड से तकनीकी सहायता के साथ, रैतु साधिकार संस्था के माध्यम से 30 बाहरी कृषक संसाधन व्यक्ति नियुक्त किए गए.
- 230 महिलाओं सहित लगभग 720 किसानों को पीयर-टू-पीयर एक्सटेंशन के लिए प्रमुख कृषक या कृषक संसाधन व्यक्ति के रूप में भूमिका निभाने हेतु उनका क्षमता निर्माण किया गया.
- 217 हेक्टेयर में मानसून-पूर्व शुष्क बुवाई का प्रदर्शन किया गया.
- क्षेत्र स्तर पर कृषि परिचालन में सहयोग देने के लिए 32 जैव संसाधन केंद्र, 24 कस्टम हायरिंग केंद्र और 21 बीज बैंकों की स्थापना की गई.

परिणाम और प्रभाव

- लगभग 1,500 घरों में रसोई उद्यान स्थापित किए गए, जिससे आहार विविधता और पोषण सुरक्षा में वृद्धि हुई.
- एकल फसल से विविध कृषि प्रणालियों में रूपान्तरण, जिसमें श्रीअन्न (मिलेट), दालों, सब्जियों और फल सहित 8-20 फसलें शामिल हैं, जिन्हें पशुधन और कृषि-वानिकी के साथ एकीकृत किया गया है.
- स्थानीय दुकानों और रूरल हाट के माध्यम से अधिशेष उत्पादन का विपणन, स्थानीय खाद्य प्रणालियों को सुदृढ़ बनाना.
- घरेलू खाद्य उपभोग और पोषण सेवन में उल्लेखनीय सुधार.
- सहभागी किसानों द्वारा रिपोर्ट की गई मौसमी आय में ₹10,000 से ₹15,000 तक की वृद्धि.
- जैव निविष्टियों और निरंतर फसल लेने के माध्यम से बेहतर नमी प्रतिधारण, मृदा संरचना और सूक्ष्मजीव गतिविधि सहित मृदा के स्वास्थ्य संकेतकों में वृद्धि.
- जैव कीटनाशकों के उपयोग के माध्यम से प्रभावी कीट और रोग प्रबंधन देखा गया.
- प्राप्त लाभों से प्रोत्साहित होकर नए किसानों की रुचि में वृद्धि सहित सहभागी किसानों के बीच प्राकृतिक खेती के तहत क्षेत्र का विस्तार करने की इच्छा में बढ़ोत्तरी.

3.3 पर्यावरणीय दृष्टि से संधारणीय आजीविका के निर्माण के लिए जनजातीय अनुकूलन पहल, ट्राइब्स

वित्तीय वर्ष 2004 में ₹50 करोड़ की आरंभिक समूह निधि के साथ जनजातीय विकास निधि (टीडीएफ़) की स्थापना की गई थी. यह जनजातीय आजीविका के लिए नाबार्ड का प्राथमिक वित्तपोषण साधन है, जो प्रारंभ में बागवानी पर केंद्रित था और बाद में पशुधन, रेशम उत्पादन और गैर-लकड़ी वन उत्पादों जैसी गैर-बागवानी गतिविधियों को शामिल करने के लिए इसका विस्तार किया गया.

जनजातीय समुदायों की अधिक समावेशिता, सशक्तीकरण और उत्थान के लिए नाबार्ड के जनजातीय विकास कार्यक्रम को पर्यावरणीय दृष्टि से संधारणीय आजीविका के निर्माण हेतु जनजातीय अनुकूलन पहल (ट्राइब्स) के रूप में पुनः परिकल्पित किया गया है. नाबार्ड की व्यापकतर जनजातीय विकास रणनीति के तहत निष्पादित कार्यक्रम घटक के रूप में ट्राइब्स एक नया ब्रांड है जो विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी), आकांक्षी जिलों और ऋण घाटे से ग्रस्त क्षेत्रों को लक्षित करते हुए कार्यान्वयन का एक उन्नत प्रयास है. यह अनुकूलन और स्थिरता बढ़ाने के लिए भूमि-आधारित और गैर-भूमि-आधारित दोनो प्रकार की आजीविका गतिविधियों को सहयोग प्रदान करता है.

जहाँ टीडीएफ वित्तीय आधार का निर्माण करता है, जिसके माध्यम से नाबार्ड जनजातीय विकास के लिए रियायती पुनर्वित्त आबंटित और मंजूर करता है, वहीं ट्राइब्स वह कार्यक्रम है जो टीडीएफ निधीयन का उपयोग करते हुए अनुकूलन बढ़ाने एवं संधारणीय आजीविका संवर्धित करने के उद्देश्य से विशिष्ट जनजातीय क्षेत्रों, कृषि-पारिस्थितिकीय पद्धतियों और संरचित परियोजना कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करता है (बॉक्स 3.5, शोकेस 3.4).

बॉक्स 3.5: जनजातीय विकास निधि: 31 मार्च 2025 तक उपलब्धियाँ और परिणाम

31 मार्च 2025 तक प्रगति

- कुल 1,030 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिससे लगभग 6.3 लाख जनजातीय परिवारों को लाभ मिला है और 5.8 लाख एकड़ क्षेत्र को शामिल किया गया है.
- इस पहल के तहत लगभग 2.9 करोड़ वृक्ष लगाए गए हैं, जिनमें प्रति वर्ष 6.3 लाख मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड को पृथक्कृत करने की क्षमता है.
- वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान ₹12.3 करोड़ के वित्तीय परिव्यय के साथ चार नई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई जिससे 2,000 परिवार लाभान्वित होंगे.
- चालू और नई मंजूर परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान कुल ₹123.6 करोड़ संवितरित किए गए.

आय, खाद्य सुरक्षा, और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए ट्राइब्स के तहत विकसित बागान.

प्रभाव

- **आय वृद्धि**: विविध कृषि प्रणालियों और अनुषंगी गतिविधियों के विस्तारण के कारण घरेलू आय में 15% से 68% की वृद्धि हुई.
- **उत्पादकता लाभ**: बागवानी सहयोग और जल तक बेहतर पहुँच के परिणामस्वरूप उत्पादकता में 15% से 49% की वृद्धि हुई.
- **महिला सशक्तीकरण**: स्वयं सहायता समूहों में महिलाओं की भागीदारी में 40% की वृद्धि हुई. साथ ही निर्णय लेने की भूमिका में 15% की वृद्धि हुई.
- **खाद्य सुरक्षा**: विविधतापूर्ण खाद्य पदार्थों की उपलब्धता के परिणामस्वरूप लाभार्थियों ने वर्ष भर खाद्य सुरक्षा में 25% का सुधार अनुभव किया.
- **जीवन गुणवत्ता**: बेहतर आय, सुविधाओं और स्वच्छता मानकों ने जीवन गुणवत्ता में वृद्धि में योगदान किया.
- **प्रवास में कमी**: परियोजना स्थलों के आस-पास मौसमी प्रवासन और संकट प्रवास में 5% से 25% तक की कमी आई.
- **रोजगार सृजन**: कृषि-आधारित रोजगार दिवस प्रति वर्ष 140 से बढ़कर 250 दिन हो गए.
- **शैक्षिक उन्नति**: बालिकाओं के नामांकन की दर बढ़ी, शिक्षा तक पहुँच में सुधार हुआ (कुछ क्षेत्रों में 97% तक) और घरेलू शिक्षा व्यय में चार गुना वृद्धि देखी गई.

वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान ट्राइब्स कार्यक्रम की प्रमुख उपलब्धियों में निम्नलिखित शामिल हैं:

1. महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में तीन बोदी-आधारित एकीकृत कृषि परियोजनाएँ प्रारंभ की गईं जिनका उद्देश्य वर्षा जल संचयन, सिंचाई और जलचरपालन है.[2]
2. राजस्थान और झारखंड में वन धन विकास केंद्रों पर एक अध्ययन ने भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ सहयोग के लिए संभाव्यतायुक्त क्षेत्रों की पहचान की.
3. उत्तराखंड के उत्तरकाशी में आयोजित अपनी तरह के पहले जनजातीय उत्पाद महोत्सव "सेब महोत्सव 1.0" ने मात्र छह घंटे में ₹2 लाख मूल्य के सेब और कीवी की बिक्री की.
4. परियोजना-स्तरीय समिति द्वारा राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में शुरू की गई पहल "गाँव की पाठशाला" में नामांकित 130 ग्रामीण बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए स्थानीय स्नातकों को सूचीबद्ध किया गया.
5. नाबार्ड के 43वें स्थापना दिवस 12 जुलाई 2024 को जनजातीय विकास परियोजनाओं के तहत परिवर्तनकारी कहानियों पर प्रकाश डालते हुए *चेजिंग ड्रीम्स – इन्स्पायरिंग स्टोरीज़ ऑफ सक्सेस* शीर्षक से एक संग्रह जारी किया गया.

शोकेस 3.4: पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में ट्राइब्स के माध्यम से पर्यावरण-अनुकूल आजीविका का निर्माण

संदर्भ: पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के नागराकाटा ब्लॉक में बड़ी संख्या में भूमिहीन परिवार सीमित आजीविका के अवसरों के कारण आर्थिक अस्थिरता से जूझ रहे हैं.

प्रमुख चुनौतियाँ

- आय के संधारणीय स्रोतों तक सीमित पहुँच.
- आजीविका की तलाश में पलायन की बहुत अधिक घटनाएँ.
- कृषि और पशुधन आस्तियों की अपर्याप्तता.
- कम पोषण वाला भोजन और निम्न स्तरीय जीवन.

अनुदान सहायता: इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए नाबार्ड ने मार्च 2021 में ट्राइब्स पहल के तहत ₹116.4 लाख की अनुदान सहायता के साथ एक परियोजना को मंजूरी दी.

भूमिहीन परिवारों में आय में स्थिरता लाने और मौसमी प्रवासन को कम करने के लिए बकरी पालन; जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल.

निष्पादक संस्था: खागेनहाट कल्याण संगठन

उद्देश्य: इस परियोजना का उद्देश्य पशुधन वितरण, जैविक रसोई उद्यानों के संवर्धन, और बेहतर बाजार एकीकरण और निविष्टि वितरण हेतु कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन जैसे लक्षित सहयोगों के माध्यम से 200 भूमिहीन परिवारों को सहायता प्रदान करना था.

सहयोग

- 200 भूमिहीन लाभार्थियों को छोटे पशुओं (मुख्यतः बकरियों) का वितरण.
- जैविक रसोई बागवानी प्रथाओं का संवर्धन करना और उन्हें अपनाना.
- निविष्टि वितरण प्रणाली और बाजार संपर्क बढ़ाने के लिए एफपीओ के गठन को सुविधाजनक बनाना.

परिणाम: परियोजना में पशुधन मृत्यु दर अत्यल्प 1.6% दर्ज की गई, जो पशुधन की देखभाल और उनके प्रबंधन में सर्वोत्तम पद्धतियों के सकारात्मक प्रभाव को दर्शाता है.

लाभार्थी परिवार पर प्रभाव

- घरेलू आय में ₹70,000 की वार्षिक वृद्धि हुई.
- घर के सदस्यों ने खास मौसम में आजीविका के लिए अन्यत्र जाना बंद कर दिया क्योंकि परिवार को स्थानीय स्तर पर ही आजीविका में स्थायित्व मिल गया था.
- घर में पशुओं की संख्या तीन गुनी हो गई, जिससे खाद्य सुरक्षा और पूरक आय में सुधार हुआ.
- जैविक रसोई उद्यानों की शुरुआत से घर के पोषण और स्वास्थ्य में उल्लेखनीय सुधार हुआ.

3.4 भविष्य की दृष्टि

जैसे-जैसे नाबार्ड वित्तीय वर्ष 2026 की ओर बढ़ रहा है, अपने ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में कम कार्बन उत्सर्जन वाली प्रौद्योगिकियों को मुख्यधारा में लाकर पारिस्थितिकी पर आधारित अनुकूलन के माध्यम से सतत विकास का संवर्धन करने और जलवायु-स्मार्ट कृषि हेतु अपने सहयोग को बढ़ाने के लिए उसकी प्रतिबद्धता बनी हुई है. प्रमुख रणनीतिक प्राथमिकताओं में संस्थागत क्षमता का सुदृढीकरण, वैश्विक और घरेलू जलवायु वित्त दोनों तक पहुँच को व्यापकतर बनाना तथा जलवायु कार्रवाई की पहुँच और प्रभाव को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक-निजी-सामुदायिक भागीदारी को और गहरा करना शामिल होंगे.

जलवायु जोखिमों के बढ़ते हुए एक्सपोजर के प्रतिसाद में नाबार्ड की योजना है कि जलवायु अनुकूलन के लिए अधिक सक्रिय और अग्रसक्रिय दृष्टिकोण अपनाया जाए. इसमें आयोजना और वित्तपोषण संरचनाओं में उन्नत उपकरणों - जैसे उपग्रह-आधारित पूर्व-चेतावनी प्रणाली और जलवायु जोखिम मॉडलिंग - को एकीकृत करना शामिल है ताकि समावेशी, संधारणीय और अनुकूलनक्षम ग्रामीण विकास के पथ को समर्थन दिया जा सके.

नोट

1. जीआईज़ेड = दोएच गेसेलशाफ्ट फ्यूर इंटरनैशनल सुसामेनआरबाईट
2. बोदी: कृषि क्षेत्रों में तालाब जैसी जल संरचना.